विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में ₹ 633.61 करोड़ के वित्तीय प्रभाव के कर/शुल्क के नहीं/अल्पारोपण/हानि से संबंधित एक समीक्षा सहित 27 कंडिकायें सम्मिलित हैं जिसमें ₹ 513.04 करोड़ के लेखापरीक्षा अवलोकनों को सरकार/विभाग ने स्वीकार कर लिया है। मुख्य निष्कर्षों में से कुछ का उल्लेख निम्न कंडिकाओं में किया गया है।

I. सामान्य

वर्ष 2011-12 की कुल प्राप्तियाँ ₹ 22,419.45 करोड़ की तुलना में वर्ष 2012-13 में झारखण्ड सरकार की कुल प्राप्तियाँ ₹ 24,769.55 करोड़ थीं। कर राजस्व ₹ 8,223.67 करोड़ और कर-भिन्न राजस्व ₹ 3,535.63 करोड़ को मिलाकर राज्य सरकार ने कुल ₹ 11,759.30 करोड़ का राजस्व सृजित किया। भारत सरकार से ₹ 13,010.25 करोड़ (विभाज्य संघीय करों से राज्यों का हिस्सा: ₹ 8,188.05 करोड़ एवं सहायता अनुदान: ₹ 4,822.20 करोड़) प्राप्त हुए। इस प्रकार, राज्य सरकार कुल राजस्व का 47 प्रतिशत ही सृजित कर सकी। वर्ष 2012-13 के दौरान बिक्री, व्यापार आदि पर कर (₹ 6,421.61 करोड़) और अ-लौह खनन और धातुकर्मीय उद्योग (₹ 3,142.47 करोड़) क्रमश: कर राजस्व एवं कर-भिन्न राजस्व के मुख्य स्रोत थे।

(कंडिका 1.1)

दिसम्बर 2012 तक निर्गत निरीक्षण प्रतिवेदनों (नि.प्र.) एवं लेखापरीक्षा आपत्तियों की संख्या जिसका निपटारा जून 2013 तक नहीं हो पाया था, क्रमश: 994 एवं 6,945 थीं, जिनमें ₹ 10,977.96 करोड़ सन्निहित थे। दिसम्बर 2012 तक निर्गत 221 निरीक्षण प्रतिवेदनों के संबंध में प्रथम उत्तर भी प्राप्त नहीं हुए यद्यपि निर्गत प्रतिवेदनों के जारी होने के एक माह के अंदर उनका उत्तर दिया जाना अपेक्षित था।

(कंडिका 1.6.1)

बिक्री, व्यापार आदि पर कर, राज्य उत्पाद, भू-राजस्व, वाहनों पर कर, मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क, विद्युत पर कर एवं शुल्क, खनन प्राप्तियाँ के 130 इकाइयों के अभिलेखों की 2012-13 में की गयी नमूना जाँच से 25,784 मामलों में सन्निहित ₹ 1,532.94 करोड़ के राजस्व के अवनिर्धारण/कम आरोपण/राजस्व की हानि प्रकाश में आये। वर्ष के दौरान संबद्ध विभागों ने 21,067 मामलों में सन्निहित ₹ 568.52 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य त्रुटियों को स्वीकार किया एवं 2012-13 में 1,024 मामलों में ₹ 7.02 करोड़ वसूल की गयी।

(कंडिका 1.9.3)

II. बिक्री, व्यापार आदि पर कर

तीन जिला खनन कार्यालयों, भारतीय खान ब्यूरो, कोलकाता एवं दक्षिण पूर्व रेलवे, लोहरदगा से प्राप्त किये गये आँकड़े/सूचनाओं की चार वाणिज्यकर अंचलों के अभिलेखों

से की गई तिर्यक जाँच से उद्घटित हुआ कि खनन गतिविधियों में लिप्त व्यवसायियों के अनिबंधन/आवर्त के छिपाव के परिणामस्वरूप ₹ 8.38 करोड़ के अर्थदण्ड सहित ₹ 12.85 करोड़ के कर की अवसूली/कम वसूली हुई।

(कंडिका 2.10)

14 वाणिज्यकर अंचलों में निबंधित 34 व्यवसायियों के विक्रय/क्रय आवर्त के निर्धारण में अनियमितताओं के परिणामस्वरूप ₹ 280.70 करोड़ के कर एवं अर्थदण्ड का अनारोपण/अल्पारोपण हुआ।

(कंडिका 2.11)

पाँच वाणिज्यकर अंचलों में पाँच निर्धारितियों के मामले में कर के गलत दर के अनुप्रयोग के परिणामस्वरूप ₹ 1.11 करोड़ के कर का अल्पारोपण हुआ।

(कंडिका 2.12)

तीन वाणिज्यकर अंचलों में पाँच निर्धारितियों के मामले में ₹ 16.98 लाख का अस्वीकार्य इनपुट टैक्स क्रेडिट दिया गया। इसके अतिरिक्त ₹ 55.59 लाख का अर्थदण्ड भी आरोप्य था।

(कंडिका 2.14)

तीन वाणिज्यकर अंचलों में तीन निर्धारितियों द्वारा प्रपत्र 'सी' में की गई घोषणा का दुरूपयोग हुआ। ₹ 1.64 करोड़ का अर्थदण्ड यद्यपि आरोप्य था, आरोपित नहीं किया गया।

(कंडिका 2.15.1)

दो वाणिज्यकर अंचलों में निबंधित दो व्यवसायियों के मामलों में कर के अधिक संग्रहण के लिए ₹ 70.90 लाख का अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त ₹ 35.45 लाख अधिक संग्रहित कर को भी जब्त नहीं किया गया।

(कंडिका 2.16)

III. राज्य उत्पाद

वर्ष 2010-11 एवं वर्ष 2011-12 के दौरान आठ उत्पाद जिलों में 138 खुदरा उत्पाद दुकानों की अबन्दोबस्ती/विलंबित बन्दोबस्ती हुई।

(कंडिका 3.8)

IV. वाहनों पर कर

16 परिवहन कार्यालयों में 4,204 वाहन स्वामियों द्वारा मई 2009 एवं फरवरी 2013 की अवधि के बीच ₹ 18.97 करोड़ का बकाया कर एवं अर्थदण्ड का न तो भुगतान किया गया और न ही विभाग द्वारा माँग की गयी।

(कंडिका 4.8)

15 परिवहन कार्यालयों में 3,495 निजी वाहनों के मामलों में ₹ 6.52 करोड़ का एकमुश्त कर जो कर अवधि के समाप्ति के पश्चात यद्यपि आरोप्य था, आरोपित नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, ₹ 1.75 करोड़ का ब्याज एवं अर्थदण्ड भी आरोप्य था।

(कंडिका 4.9)

आठ जिला परिवहन कार्यालयों में, संग्रहकर्ता बैंकों द्वारा संग्रहित राजस्व को सरकारी लेखे में एक से ग्यारह माह के बीच विलम्ब से प्रेषित किया किन्तु विलम्ब से प्रेषण पर देय ₹ 7.60 करोड़ का ब्याज संग्रहकर्ता बैंकों द्वारा जमा नहीं किया गया।

(कंडिका 4.10)

V. भू-राजस्व

सात अंचल कार्यालयों द्वारा 13.341 एकड़ जी.एम.खास/आम भूमि की सलामी एवं पूंजीकृत मूल्य के कम संगणना राशि ₹ 4.06 करोड़ की वसूली किये बिना व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए हस्तांतरित किया गया।

(कंडिका 5.8)

VI. अन्य कर प्राप्तियाँ

मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क

"अचल संपत्तियों के पट्टा अनुबंधों और विकास अनुबंधों पर मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस का आरोपण एवं संग्रहण" पर एक कंडिका में निम्नलिखित उद्घटित हुआ:

- 82 खनन पट्टों के अनवीकरण से सरकार को ₹ 47.39 करोड़ के मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क से वंचित रहना पड़ा।

(कंडिका 6.7.3.1)

- आँकड़ें/सूचनाओं के अंतर्विभागीय आदान प्रदान तंत्र के अभाव के परिणामस्वरुप शहरी स्थानीय निकायों/समितियों/अंचल कार्यालयों/ए.टी.एम. द्वारा पट्टों का निबंधन नहीं हुआ एवं फलस्वरुप ₹ 74.56 लाख का मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क का आरोपण नहीं हुआ।

(कंडिका 6.7.3.2)

- एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम द्वारा पट्टे पर दिये गये 6,764 आवासीय क्वार्टरों के पट्टा विलेखों के निष्पादन/नवीकरण नहीं किये जाने के परिणामस्वरुप ₹ 1.51 करोड़ के मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क का आरोपण नहीं हुआ।

(कंडिका 6.7.3.3)

विद्युत पर कर एवं शुल्क

"झारखण्ड में विद्युत शुल्क का आरोपण एवं संग्रहण" पर एक समीक्षा में निम्नलिखित उद्घटित हुआ:

- विद्युत उर्जा के संव्यवहार के आंतरिक लेखापरीक्षा एवं तिर्यक जाँच हेतु प्रणाली विद्यमान नहीं है।

(कंडिका 6.10.9)

- 2008-09 एवं 2012-13 के मध्य की अवधि से संबंधित 924 उद्योगों/इकाइयों से ₹ 3.42 करोड़ के निरीक्षण शुल्क की वसूली मुख्य विद्युत निरीक्षक द्वारा नहीं की गई।

(कंडिका 6.10.10.1)

- चार वाणिज्यकर अंचलों में 16 निर्धारितियों से 1996-97 एवं 2008-09 की अवधि के दौरान गलत दरों के अनुप्रयोग के कारण ₹ 13.10 करोड़ के अर्थदण्ड सहित ₹ 15.80 करोड़ के विद्युत शुल्क का कम आरोपण हुआ।

(कंडिका 6.10.12)

- 2003-04 एवं 2012-13 की अवधि के दौरान एक निर्धारिती को गलत छूट दिये जाने के परिणामस्वरुप ₹ 43.33 करोड़ के अनिवार्य अर्थदण्ड सहित ₹ 55.43 करोड़ के विद्युत शुल्क का अवनिर्धारण हुआ।

(कंडिका 6.10.15.1 एवं 6.10.15.2)

- 2007-08 की अवधि से संबंधित झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग के आँकडों के झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरणियों के साथ तिर्यक जाँच में 912.46 मिलियन इकाई विद्युत उर्जा के छिपाव का पता चला जिसके परिणामस्वरुप ₹ 22.62 करोड़ के अनिवार्य अर्थदण्ड के अतिरिक्त ₹ 8.01 करोड़ के विद्युत शुल्क एवं अधिभार का आरोपण नहीं हुआ।

(कंडिका 6.10.16.1)

- मुख्य विद्युत निरीक्षक द्वारा उद्योगों एवं अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को निर्गत डीजल जेनरेटर सेट के योग्यता प्रमाण पत्र आँकडों की तिर्यक जाँच से 804 अनिबंधित निर्धारितियों का पता चला, जिसमें 48 ने नियत तिथि के बाद निबंधित पाये गये और जिसके परिणामस्वरुप ₹ 6.60 करोड़ के अर्थदण्ड का आरोपण नहीं हुआ।

(कंडिका 6.10.18)

VII. खनन प्राप्तियाँ

तीन जिला खनन पदाधिकारयों द्वारा 28 पट्टेधारियों के मामलें में 96.31 लाख मी.ट. कोयला एवं लौह अयस्क के प्रेषण पर स्वामिस्व के गलत दर अनुप्रयोग के परिणामस्वरुप ₹ 32.22 करोड़ के स्वामिस्व का कम आरोपण हुआ।

(कंडिका 7.7)

दो कोलियरियों द्वारा 3.88 लाख मी.ट. प्रेषित कोयले को निम्न स्तर का दिखाये जाने एवं इसे विवरणियों की संवीक्षा के माध्यम से पता करने में जिला खनन पदाधिकारियों (गोड्डा एवं रामगढ़) की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 1.22 करोड़ के स्वामिस्व का कम आरोपण हुआ।

(कंडिका 7.8)

जिला खनन पदाधिकारी, देवघर द्वारा मासिक विवरणियों की मांग, संग्रहण एवं शेष पंजी के साथ तुलनात्मक संवीक्षा नहीं किये जाने के परिणामस्वरूप एक पट्टाधारी द्वारा 67,740.94 मी.ट. कोयले के प्रेषण में छिपाव के फलस्वरूप ₹ 1.18 करोड़ के स्वामिस्व का कम आरोपण हुआ।

(कंडिका 7.9)